

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक-एफ-1(2)एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक-11.06.2014 एवं एफ1(2)एफडी (रूल्स)06/पार्ट-1 दिनांक-07.08.2014 की अनुपालना निम्नलिखित परिवीक्षाधीन व्याख्याताओं (प्रोबेशनर-ट्रेनी) का उनके निजी कारण/ चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.स.	नाम व्याख्याता, विषय मय कार्यरत स्थान राउमावि-राबाउमावि	कुल अवकाश अवधि	स्वीकृत अवकाश के दिनों की संख्या
1.	हरीश कुमार , इतिहास 43 आर.बी., पदमपुर-गंगानगर	05.12.17 से 22.12.17	18 दिन
2	प्रियंका बौद्ध, इतिहास सोडावास-पाली	03.07.18 से 30.07.18	28 दिन
3	नरेन्द्र सिंह, वाणिज्य जखोडा-झुंझुनू	28.06.18 से 29.06.18 22.01.19 से 25.01.19 28.01.19 से 05.02.19 21.02.19 से 21.02.19	16 दिन
4	रेखा कुमारी, इतिहास मनियों- धौलपुर	05.03.19 से 14.03.19 25.03.19 से 04.04.19	21 दिन
5	संतोष मीना, इतिहास गौठडा-स.माधोपुर	06.03.18 से 25.03.18	20 दिन
6	अनिषा चौधरी, इतिहास लाछडी, लाडनूं-नागौर	12.07.17 से 10.08.17 18.08.17 से 09.09.17	53 दिन

क्रम संख्या 06 पर अंकित अनिषा चौधरी, व्याख्याता के 30 दिवस से अधिक अवैतनिक अवकाश का प्रभाव स्थायीकरण पर पड़ेगा ।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 22/7/19

क्रमांक :- शिविरा / माध्य / संस्था / सी2 / इति-वाणि / स्थायी. / अ.अवकाश / 2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय(माध्यमिक)
3. संबंधित मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित शाला / संस्था प्रधान / संबंधित कार्मिक
6. रक्षित प्रत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर